Annexure-17.1

कार्यालय कलेक्टर,(रीडर शाखा) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ0ग0)

—ज्ञापन—

क्रमांक 1906/रीडर–1/2024 दन्तेवाड़ा, दिनांक 16/04/2024

प्रति,

प्रबंध संचालक,
(सीएमडीसी)
सेक्टर 14, ब्लॉक 7ए, तृतीय तल
अटल नगर नवा रायपुर

विषय :– एनएमडीसी–सीएमडीसी लि.(एनसीएल) की परियोजना बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप क्रं 4 के कियान्वयन से ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली के विस्थापित 25 परिवारों के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक 2.00 हे./5.00 एकड़ शासकीय भूमि ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली में उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 1393, रायपुर दिनांक 28.03.2024. (2) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ेबचेली का पत्र कमांक 81/अविअ/2024, बड़ेबचेली दिनांक 30.01.2024.

——00——

विषयानुसार संदर्भित पत्र 1. की कंडिका 02 में उल्लेख अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ेबचेली के पत्र दिनांक 30.01.2024 के द्वारा दिये गये 03 सुझाव, एनसीएल द्वारा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होना लेख किया गया है।

विदित हो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ेबचेली के पत्र दिनांक 30.01.2024 के द्वारा दिये गये 03 सुझाव के संबंध में पत्राचार मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड के साथ किया गया है। जिस प्रकरण अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड, आवेदक/अपेक्षक निकाय हैं, जिसमें वैकल्पिक भूमि व्यवहारिक रूप से दिया जाना संभव है।

वर्तमान में ग्राम भांसी व पोरोकमेली में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ेबचेली के पत्र कमांक पत्र कमांक 81/अविअ/2024, बड़ेबचेली दिनांक 30.01.2024 में दिये गये तीन सुझावों में से कंडिका 03 में उल्लेखित सुझाव सर्वथा उचित है/संभव है। दिये गये सुझाव के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

पृ. क्रमांक 1907/रीडर–1/2024 दन्तेवाड़ा, दिनांक 16/04/2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बड़ेबचेली।

कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़ेबचेली, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

sdmbacheli@gmail.com

// ज्ञापन //

क्रमांक / 81 /अ.वि.अ. / 2024 बड़ेबचेली, दिनाक 30 / 01 / 2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एन0एम0डी0सी0–सी0एम0डी0सी0 रायपुर।

विषय :– पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र विषयक।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5090 दिनांक 29.11.2023 ।
2. इस कार्यालय का स्मरण पत्र क्रमांक 6031 दिनांक 20.12.2023।

–––00–––

विषयानुसार संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । जिसके माध्यम से बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों से प्रभावित हो रहे ग्राम – भांसी एवं पोरोंकमेली में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 में निहित प्रावधान अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार करने हेतु ''पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र'' हेतु भूमि की जानकारी चाही गयी है किन्तु अपेक्षित जानकारी आज पर्यंत तक अप्राप्त है।

उक्त सम्बन्ध में ''पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र'' हेतु निम्नाकित सुझाव है :–

1. प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित भूमि की सीमा के भीतर लगभग 150मीटर x 150मीटर का क्षेत्र, अथवा
2. प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अन्य लाभों को समान रखते हुए, प्रभावित परिवारों की सहमति से पुनर्व्यवस्थापन योजना के भूमि सह मकान के बदले एक मुस्त अतिरिक्त राशि, अथवा
3. प्रभावित ग्राम भांसी में पूर्व में एन0एम0डी0सी0 को आबंटित 17 एकड़ जमीन में से 05 एकड़ भूमि उपयुक्त है ।

अतः आप पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र हेतु, उपरोक्त विकल्पों या अन्य उपर्युक्त भूमि का चयन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को जानकारी अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

Vivek

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
बड़ेबचेली

पृ क्रमांक / 81–A /अ.वि.अ. / 2024 बड़ेबचेली, दिनाक 30 / 01 / 2024

प्रतिलिपि :–

कलेक्टर महोदय, जिला दक्षिण–बस्तर दंतेवाडा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

Vivek

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
बड़ेबचेली

Annexure_17.2

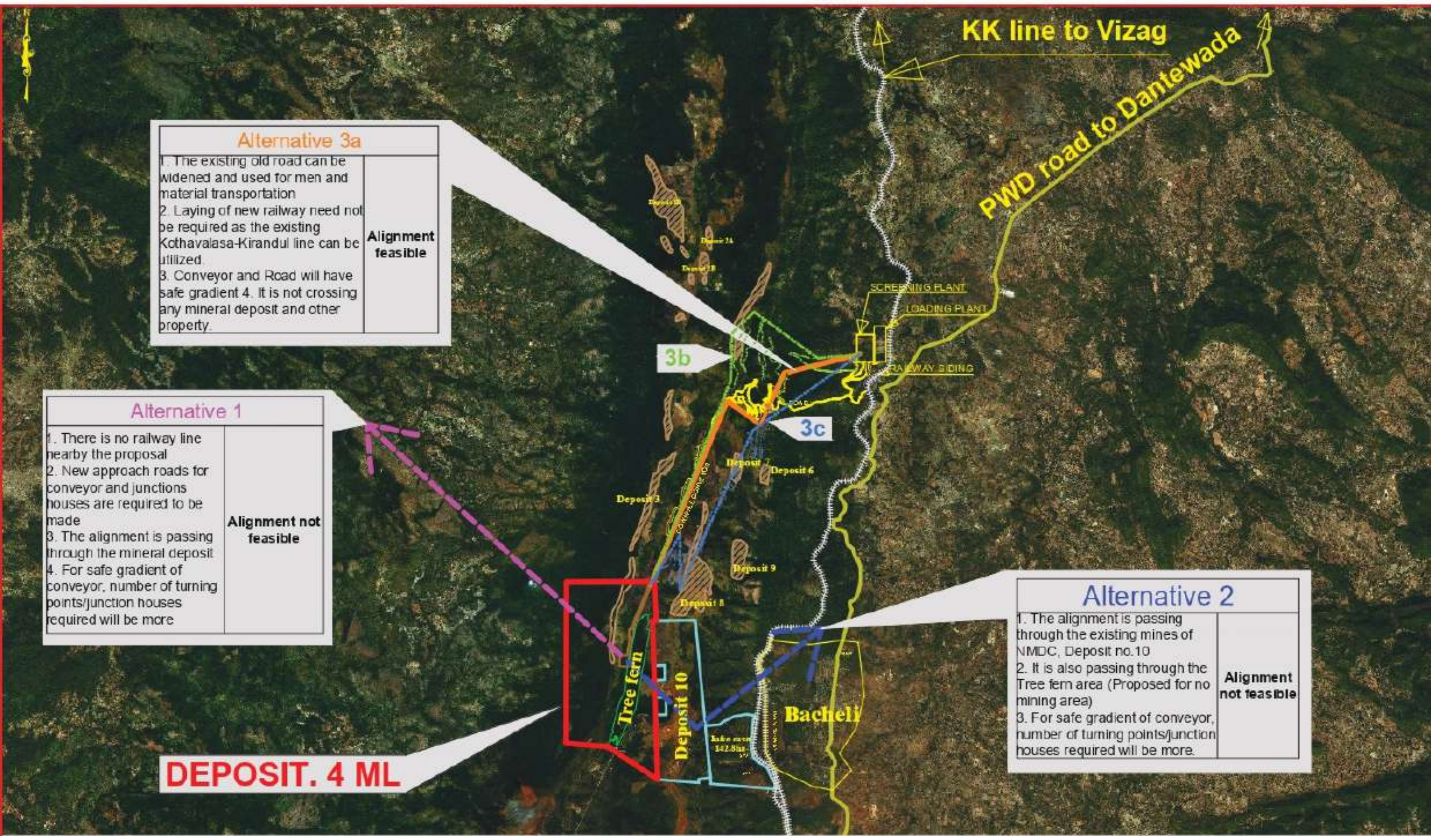

Annexure_19.1

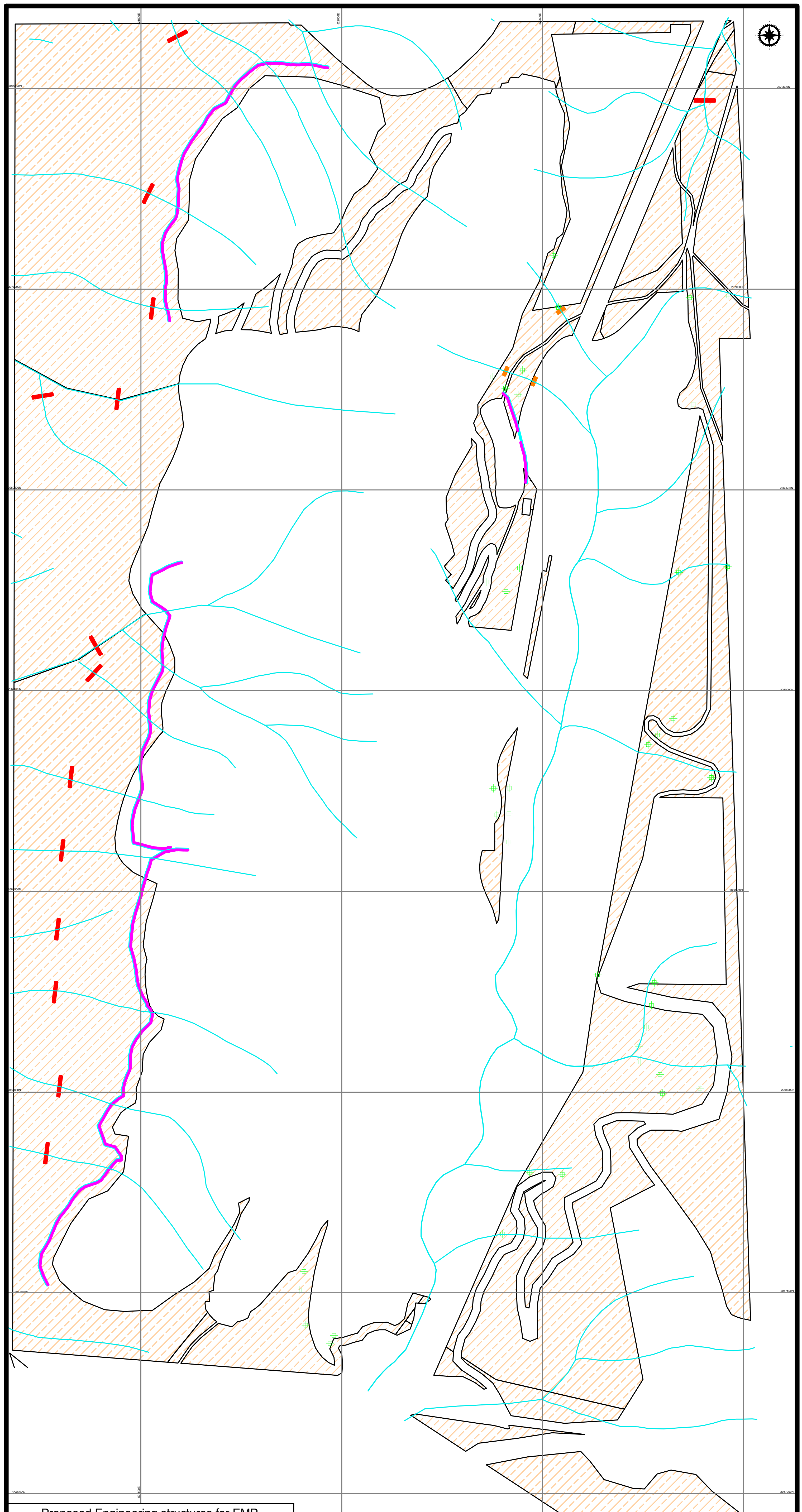

Proposed Engineering structures for EMP	
Check dam	
Check bund	
Buttress wall	
Garland drain	
Other structures as per Conservation plan	
Nalah	